रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 257] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 15, 1973/आश्विन 23, 1895
No. 257] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 15, 1973/ASVINA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October 1973

G.S.R. 475(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) Act, 1973 (34 of 1973), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 1973, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F.3/3/72-SR.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1973

सा० का० नि० 475 (अ).— लक्कदीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 34) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 1973 के नवम्बर के प्रथम दिन को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा० सं० 3/3/72—एस० आर०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973